विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोग लेखे पर दो अध्याय और छः समीक्षाएं/दीर्घ कंडिकाऐं एवं कुछ चयनित कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों तथा सरकार के वित्तीय लेन-देनों पर आधारित 48 कंडिकाएं समाविष्ट करने वाले पाँच अध्याय सम्मिलित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश दिया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का एक विहंगावलोकन

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2001-02 में 4376 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-03 में 5417 करोड़ रूपये हो गई । यह बढ़ोत्तरी 23.79 प्रतिशत रही । 2002-03 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (2327 करोड़ रूपये) तथा कर-भिन्न राजस्व (957 करोड़ रूपये) का अंशदान क्रमशः 42.96 तथा 17.67 प्रतिशत था।

कुल राजस्व का 61 प्रतिशत राजस्व राज्य के स्वयं के स्त्रोतों से आया जबकि मात्र 39 प्रतिशत अंशदान सहायता-अनुदान तथा केन्द्रीय कर के हस्तान्तरण से प्राप्त हुआ।

मार्च 2003 के अंत में 117 करोड़ रूपये के कुल लम्बित राजस्व में से 49 करोड़ रूपये (42 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे जो कर अनुपालन की असंतोषजनक स्थिति को दर्शाता है।

16.48 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रवृति से, कुल व्यय 2001-02 में 5502 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-03 में 6409 करोड़ रूपये हो गया।

राजस्व व्यय, 11.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुये 2001-02 में 4945 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 5530 करोड़ रूपये हो गया । राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 2001-02 के 113 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2002-03 में 102.09 प्रतिशत हो गया।

कुल व्यय में आयोजना और पूँजीगत व्यय का संबद्ध अंश 2001-02 में 28.17 और 10.12 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में क्रमशः 33.05 और 13.72 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय का अंश 2001-02 में 63.99 प्रतिशत से बढकर 2002-03 में 67.56 प्रतिशत हो गया।

कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश 2001-02 के 27.27 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 32.88 प्रतिशत हो गया । सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं का अंश 32.10 और 36.74 प्रतिशत से कम होकर 2002-03 में क्रमशः 28.99 और 34.68 हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55.82 प्रतिशत, उपयोग कर पेंशन एवं वेतन (2214 करोड़ रूपये) और ब्याज के भुगतान (810 करोड़ रूपये) पर विशाल व्यय किया गया।

ब्याज के भुगतान में 11 प्रतिशत की धीरे धीरे वृद्धि से 2001-02 में 731 करोड़ रूपये से 2002-03 में 810 करोड़ रूपये हो गया तथा कुल राजस्व व्यय का 14.65 प्रतिशत निर्मित हुआ।

वितरित ऋण एवं अग्रिम तथा अर्न्तराज्यीय समाशोधन सहित पूँजीगत व्यय 2001-02 में 557 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-03 में 879 करोड़ रूपये हो गया।

2002-03 के दौरान राजस्व घाटा 569 करोड़ रूपये से 113 करोड़ रूपये तथा राजकोषीय घाटा 1,117 करोड़ रूपये से 973 करोड़ रूपये घटकर हो गया।

शासन ने 2002-03 के दौरान सांविधिक निगमों तथा सहकारिता में 35.84 करोड़ रूपये निवेशित किये । जबकि अवधि के दौरान सांविधिक निगमों से लाभांश ब्याज के रूप में 25.57 करोड़ रूपये (71.34 प्रतिशत) प्राप्त हुए, सरकारी कम्पनियों अथवा सहकारिता से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुये थे।

2002-03 में परियोजनाओं पर किये गये 80.54 करोड़ रूपये के राजस्व व्यय के विरूद्व वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त कुल राजस्व 53.72 करोड़ रूपये (67 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार की समग्र राजकोषीय देयताएं 20.06 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि दर से 2001-02 में 7,421 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-03 में 8,910 करोड़ रूपये हो गयी । ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2001-02 में 24.52 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 26.76 प्रतिशत हो गयी तथा राजस्व प्राप्तियों के 1.64 गुना थी।

विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को सहायता 19.10 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2001-02 में 177.39 करोड़ रूपये से 2002-03 में 211.27 करोड़ रूपये हो गयी थी।

2002-03 के दौरान संयुक्त स्कंध कंपनियों सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं निगमों एवं नगरीय क्षेत्रों को शासन द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की राशि 309 करोड़ रूपये थी 31 मार्च 2003 को लंबित प्रतिभूति की राशि 266 करोड़ रूपये थी।

सरकार द्वारा 6.25 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध अर्थोपाय पेशगियों की सीमा 100 करोड़ रूपये का उपयोग एक दिन के लिये भी नहीं किया गया, यद्यपि 7.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर बाजार उधारियों के माध्यम से 464.52 करोड़ रूपये सृजित किये गये।

(कंडिका 1.1 से 1.10)

2 विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

9855 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित अनुदानों/विनियोग के विरूद्व 7091 करोड़ रूपये के वास्तविक व्यय के परिणाम स्वरूप 2764 करोड़ रूपये (28.05 प्रतिशत) की बचत हुई।

49 प्रकरणों में 462.18 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्व हुआ। दस प्रकरणों में व्यय प्रावधान से 114.59 करोड़ रूपये अधिक हुआ।

66 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये या इससे अधिक और प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की बचत हुई । 12 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये या अधिक का कुल 50.96 करोड़ रूपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

31 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपये या अधिक तथा 604.66 करोड़ रूपये का कुल प्रावधान के 80 प्रतिशत से अधिक की सारभूत बचतें प्रकट हुई । 31 में से 19 योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

वर्ष के दौरान 1553.19 करोड़ रूपये अभ्यर्पित किये गये थे । इनमें से 65 प्रकरणों में 1552.43 करोड़ रूपये (99.95 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये थे जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का द्योतक है । अनुदान/विनियोग के 116 प्रकरणों में 1361.09 करोड़ रूपये की बचत को अभ्यर्पित नहीं किया गया और उसे व्यपगत हो जाने दिया गया । इनमें 34 प्रकरणों में 1293 करोड़ रूपये सम्मिलित थे जिनमें प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपये से अधिक की बचत हुई।

संविधान की धारा 205 के अधीन,10 अनुदानों/योजनाओं के अंतर्गत किये गये 114.59 करोड़ रूपये के अधिक व्यय का नियमन आवश्यक था । नवम्बर 2000 से मार्च 2002 की अवधि में किये गये 126.11 करोड़ रूपये के अधिक व्यय का नियमन अक्टूबर 2003 तक नहीं किया गया था।

नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा जारी उन्नयन अनुदान विनियोग लेखाओं में 64.66 करोड़ रूपये प्रतिबिम्बित किये गये जिसमें से 27.30 करोड़ रूपये सिविल जमा में रखा जाना सूचित किया गया, इस प्रकार कुल व्यय को बढ़ाया गया। वित्त विभाग एवं क्रियान्वयन विभागों के अभिलेखों से किये गये व्यय एवं जमा राशियों के आंकड़ों के मिलान न करने से भी विसंगति थी।

(कंडिका 2.1 से 2.8)

3 कृषि विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

राज्य में फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न फसल विकास योजनाऐं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। परन्तु विभाग कृषकों के बीच अद्यतन तकनीकों के प्रचार और उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों की पुरःस्थापित करने में विफल रहा । यद्यपि 2000-03 की अवधि दौरान 311.29 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था, विभिन्न राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों के अप्रभावी क्रियान्वयन तथा समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में उत्पादकता लगभग स्थिर रही । राज्य में धान की उत्पादकता 1369 कि.ग्रा.प्रति हेक्टेयर (1996-97) से 830 कि.गा.प्रति हेक्टेयर तक नीचे आ गई जो औसत राष्ट्रीय उत्पादकता (2807 कि.ग्रा./हैक्टेयर से काफी कम है । कृषि विभाग द्वारा रखा गया उत्पादकता लक्ष्य (2000 कि.ग्रा./हैक्टेयर) प्राप्त नहीं किया गया था । उद्यानिकी, कृषि यांत्रिकी, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मृदा परीक्षण की संबद्ध गतिविधियों के अप्रभावी निष्पादन के परिणाम स्वरूप भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैः-

- 2000-03 के दौरान 95.25 करोड़ रूपये की बचत ने कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया।

- बीजों उपकरणों के प्रदाय और अन्य उद्देश्यों के लिये अग्रिम के रूप में भुगतान किये गये 1.15 करोड़ रूपये असमायोजित पड़े थे । 1.73 करोड़ रूपये के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल समायोजन हेतु लम्बित थे जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का द्योतक है । इसके अतिरिक्त 2001-03 के दौरान, वृहत प्रबंधन के अंतर्गत 44.89 लाख रूपये का व्यय भारत सरकार के अंश को बढ़ाकर सूचित किया जाना दृष्टिगोचर हुआ था।

- खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन का उत्पादन तेजी से गिरकर 2001-02 में 73.67 लाख मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2002-03 में 41.88 लाख मैट्रिक टन हो गया।

- बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 49.17 लाख रूपये की सहायता का अधिक भुगतान तथा आम और काजू की वृक्षारोपण योजना पर 86.74 लाख रूपये का निष्फल व्यय जानकारी में आया।

- नमूना जाँच किये गये जिलों में शासकीय उद्यान तथा कृषि प्रक्षेत्र भारी घाटे में चल रहे थे (2.46 करोड़ रूपये)।

- भू एवं जल संरक्षण उपायों पर निर्धारित सीमा से 2.58 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया गया ।

- असफल नलकूपों पर 42.52 लाख रूपये का निष्फल व्यय किया गया।

- नमूना जाँच किये गये जिलों में निष्क्रिय तथा सम्बद्ध अमले के वेतन एवं भत्तों पर 55.57 लाख रूपये का निष्फल व्यय किया गया।

(कंडिका 3.1)

4 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीसियेन्सी सिन्ड्रोम) एक ह्यूमन इम्यूनो डेफीसियेन्सी रेट्रो वायरस (एच.आई.वी.) नाम के वायरस से फैलता है । इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक केन्द्र प्रवर्त्तित योजना - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना - चरण-I (सितम्बर 1992 से मार्च 1999) तथा चरण-II नवम्बर 1999 से पाँच वर्षों के लिये प्रारम्भ की गई थी। उच्च जोखिम समूहों में संक्रमण कम करने के लिये लक्षित जनसंख्या की पहचान, परामर्श देना, निरोध के लिये प्रोत्साहन तथा लैंगिक संप्रेषित रोगों आदि का उपचार शुरू नहीं किया गया था । छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण समिति रायपुर, 2001-03 की अवधि के दौरान अनुमोदित कार्ययोजना के लिये 6.73 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2.47 करोड़ रूपये (37 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सकी। फरवरी 2002 के दौरान कुल अनुमानित लक्षित जनसंख्या (15-49 वर्ष) के केवल 18 प्रतिशत ही परिवार स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों में उपस्थित हुये। पाँच जिलों में हेपीटाइटिस "सी" के लिये अनिवार्य रक्त स्क्रीनिंग परीक्षण में कमी 41-100 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2002 में स्वैच्छिक रक्त संग्रहण के लक्ष्य में कमी 47 प्रतिशत थी। अन्य कमियाँ इस प्रकार थीः-

- संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, रायपुर के पास परिवार स्वास्थ्य जाकरूकता अभियान के लिये 49 लाख रूपये का आबंटन मई 2001 से अप्रयुक्त पड़ा था। उक्त अवधि में कोई भी जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किया गया था।

- 15.30 लाख रूपये इस उद्देश्य के लिये मुक्त किये जाने के बावजूद भी छः जिलों में लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालय कार्य नहीं कर रहे थे।

- छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण समिति रायपुर द्वारा, गेरू पेंटिंग, होर्डिंग्स का लगाना तथा मुद्रित सामग्री की प्राप्ति और वितरण से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन का सत्यापन किये बिना ही, 29.17 लाख रूपये व्यय किया गया ।

- सात जिलों में आधुनीकृत रक्त बैंकों की स्थापना नहीं की गई थी यद्यपि इस प्रयोजन हेतु, 35 लाख रूपये का अनुदान दिया गया था।

- प्लेटीलेट इनक्यूवेटर, 10 के.वी.ए.जनरेटर की अप्राप्ति तथा लाइसेंस के अभाव में रक्त घटक पृथक्करण इकाई में 19.64 लाख रूपये मूल्य के उपकरण निष्क्रिय पड़े थे।

(कंडिका 3.2)

5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य छात्रवृत्ति

कक्षा तीन से पाँच तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्त कन्या छात्राओं, कक्षा छः से दस तक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त विद्यार्थियों तथा मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिये पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा बिना किसी आर्थिक कठिनाई के पूर्ण करने में सहायता की दृष्टि से राज्य छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति वितरण परिकल्पित था।

नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि के अभिलेखों की समीक्षा में आहरित निधियों का लेखाबद्ध न करना, निधियों का देर से मुक्त किया जाना, छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब, अव्ययित शेष राशि को शासकीय लेखे में जमा न करना,बाद के वर्षों के लिये बजट आवंटन की राशि में से छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान छात्रवृति के धनादेशों का अधिक एवं अनियमित जारी किया जाना प्रकट हुये। ध्यान में आये महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न विवरणानुसार हैं -

-- नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान छात्रवृत्ति के आहरित 38.09 करोड़ रूपये बिना रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्टि किये बिलों को पृष्ठांकित कर बैंक में जमा किये गये।

-- 3.07 करोड़ रूपये की अव्ययित राशि शासकीय लेखों में जमा नहीं की गई थी।

-- 5.93 करोड़ रूपये के छात्रवृत्ति धनादेश जारी किये गये थे जबकि आहरण केवल 5.34 करोड़ रूपये का ही किया गया था, परिणाम स्वरूप 59 लाख रूपये अधिक के धनादेश जारी किये गये।

-- 1.32 करोड़ रूपये की निधियाँ विलम्ब से विमुक्त किये जाने के परिणाम स्वरूप पात्र विद्यार्थी वित्तीय सहायता से वंचित रहे।

-- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को 1.73 करोड़ रूपये के अनियमित धनादेश जारी किये गये।

(कंडिका 3.3)

6 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1997-98 के दौरान भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ कर सिंचाई क्षेत्र में दखल दिया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं जिन पर काफी काम हो चुका था एवं निधियों के अभाव में शेष निर्माण कार्य शिथिल पड़ा था को त्वरित रूप से पूर्ण करना था। त्वरित रूप से इसके लिये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य में पाँच परियोजनाओं का चयन किया गया था जिनके लिये 1997-98 से 2002-03 के दौरान 190.65 करोड़ रूपये की केन्द्रीय ऋण सहायता तथा 127.67 करोड़ रूपये का राज्य अंश मुक्त किये गये थे। परियोजना पर 296.37 करोड़ रूपये तथा स्थापना पर 82.72 करोड़ रूपये तथा अन्य मदों पर कुल 379.09 करोड़ रूपये व्यय किये गये थे। समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं -

-- कार्यक्रम के उद्देश्यों को 4 कृषि मौसमों अथवा 2 वर्षों के अंदर प्राप्त नहीं किया गया था । समय वृद्धि 24 और 36 माहों के बीच रही तथा मार्च 2003 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अनुमानों पर 1.15 करोड़ रूपये से 43.80 करोड़ रूपये की कार्यशील लागत रही।

-- 31 मार्च 2003 को 1.14 लाख हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 0.61 लाख हैक्टेयर सम्भाव्य सिंचाई का सृजन किया गया। वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान सम्भाव्य सिंचाई अनुपयुक्त रहने के परिणाम स्वरूप 2.52 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

-- 85.10 करोड़ रूपये की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम निधियों का व्यपवर्तन

-- भू-अर्जन अधिकारियों, राज्य सरकार के वन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर को निजी तथा वन भूमि के अर्जन तथा नहर मार्ग क्रासिंग के निर्माण हेतु दिये गये 37.94 करोड़ रूपये के अग्रिम बिना भुगतान के विवरण प्राप्त किये ही सम्बन्धित कार्य को भारित कर दिये गये थे। 2.04 करोड़ रूपये के संग्रहण तथा सुरक्षित अग्रिमों को हसदेव बांगो परियोजना में अंतिम व्यय के रूप में अनियमित रूप से लेखाबद्ध किया गया था जबकि मार्च, 2003 तक 51.78 लाख की वसूली नहीं की गई थी।

-- 267.82 करोड़ रूपये की अन्य वित्तीय अनियमितताएं भी जानकारी में आई जिनमें अन्य के अतिरिक्त (i) उच्च निविदा दरों को स्वीकार करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य लागतः 77.46 करोड़ रूपये (ii) अनुमोदित मानदण्डों से परे अधिक प्रशासनिक व्ययः 59.91 करोड़ रूपये (iii) कार्य की अपूर्णता के कारण निष्फल व्ययः 30.73 करोड़ रूपये सम्मिलित थे।

(कंडिका 3.4)

7. विकलांगों का कल्याण

विकलांगों का कल्याण एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगों पर निर्दिष्ट रोगहर, उपचार, प्रोत्साहन तथा पुनर्वास क्रियाकलापों तथा सामूहिक उपायों का समन्वय समाहित है । छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग को व्यापक पुनर्वास सेवाऐं उपलब्ध कराना था जिसमें विकलांगता का शीघ्र पता लगाना, विकलांगों को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दृष्टि से, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण नौकरी दिलवाना, स्वरोजगार हेतु सहायता एवं उपकरणों का निःशुल्क प्रदाय समाविष्ट था।

समीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रभावी ही नहीं किया गया था जबकि अन्य को आंशिक रूप से तथा अप्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया था। विभिन्न योजनाओं में निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था तथा निर्धारित नियंत्रणों को ध्यान में नहीं रखा गया था। राज्य में कोई वित्तीय परिवीक्षण की प्रणाली विद्यमान नही थी जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों के उपयोग में कमी, और कार्यक्रमों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन हुआ, इस प्रकार विकलांग उन्हें उपलब्ध अवसरों और सुविधाओं से वंचित रहे। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे -

-- 1.11 करोड़ रूपये (70.3 प्रतिशत) की बचत के परिणाम स्वरूप, सामान्य विद्यालयों में एकीकृत विकलांग बाल शिक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं से विकलांग विद्यार्थी, वंचित रहे ।

-- 57.94 लाख रूपये के कुल आबंटन में से 15.20 लाख रूपये (26 प्रतिशत) की निधियॉ अवरूद्ध होने से सहायक साधनों की खरीदी/जुड़ाई योजना के लिए विकलांग सहायता योजना के अंतर्गत लाभों से विकलांगों को वंचित रखा गया।

-- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3.64 करोड़ रू. में से 3.08 करोड़ रूपये (85 प्रतिशत) अनुपयुक्त रहने से विकलांगों हेतु मानव संसाधन विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ, इसका मुख्य कारण अभी तक राज्य संसाधन केन्द्र की संरचना न किया जाना था । सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे गये।

-- समाप्त पदों पर अमले को रोके रखे जाने के कारण 31.13 लाख रूपये का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 3.5)

लेखा परीक्षा कंडिकाएं

8 निष्फल/निरर्थक व्यय तथा अधिक भुगतान

- सड़क निर्माण कार्यों में बिटूमिन का प्रयोग कर मँहगे टेक कोट का विवेकहीन रूप अपनाने के कारण 95.04 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.1.1)

- इमल्शन के स्थान पर बिटूमन से टेक कोट के लिए ऊँची दर के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को 15.87 लाख रूपये का अधिक भुगतान।

(कंडिका 4.1.2)

- वृक्षारोपण के लिये स्थल की तैयारी पर 21.43 लाख रूपये का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.1.3)

- 1.85 लाख चिन्हांकित वृक्षों का पातन न करने के फलस्वरूप उनके चिन्हांकन पर 27.95 लाख रूपये का निरर्थक व्यय ।

(कंडिका 4.1.4)

- शासकीय आदेशों के बावजूद वेतन निर्धारण पर 38.65 लाख रूपये की बकाया राशि के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 4.1.5)

9 संविदाकृत दायित्वों का उल्लंघन/ठेकेदार को अनुचित सहायता

- सड़क कार्यों की अनुचित आयोजना के फलस्वरूप नई बिछायी गयी बिटूमिनस परतों के मध्य टेक कोट पर 49.13 लाख रूपये का परिहार्य व्यय जिससे ठेकेदार को 1.36 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ भी हुआ।

(कंडिका 4.2.1)

- साख-पत्र की वैधता अवधि में वृद्वि पर अतिरिक्त बैंक प्रभारों का दावा न करना एवं सुपूर्दगी की मूल व संशोधित तिथियों पर विनिमय दरों के अंतर के फलस्वरूप 97.26 लाख रूपये की हानि।

(कंडिका 4.2.2)

10 परिहार्य/अधिक/अफलकारी व्यय

- नलकूपों में प्रयोग के लिये सस्ते पी.वी.सी.पाइपों के उपयोग के स्थान पर मँहगे जी.आई.पाइपों का क्रय करने से 2.39 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत।

(कंडिका 4.3.1)

- उसी स्थान पर एक समान कार्यों के लिये प्रचलित दरों के स्थान पर उच्च दरों पर निविदाओं की स्वीकति के फलस्वरूप 10.74 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3.2)

- इमारती लकड़ी एवं बाँस के राजकीय व्यापार में कार्यशील व्यय की सीमा का अनुसरण न करने के फलस्वरूप 31.70 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ

(कंडिका 4.3.3)

- स्थानीय समाचार-पत्रों को, भुगतान से 15 प्रतिशत विज्ञापन प्रभार की कटौती न करने से 1.08 करोड़ रूपये का संदिग्ध भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.3.4)

- 4 अस्पतालों में अर्न्तवासी मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 17.97 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3.5)

11 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरूद्ध होना

- विगत 3 वर्षो से शासकीय प्रेस में 40.92 लाख रूपये मूल्य की मशीनों के संस्थापन/परिनिर्माण न करने से इनका निष्क्रिय रहना।

(कंडिका 4.4.1)

12 नियामक विषय तथा अन्य बिन्दु

- उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त धन को मोर्कफेड को खाद की विक्रय प्राप्तियों की देरी से हस्तांतरण पर ब्याज के दावे पर विलंब से कार्यवाही/अनुवर्त्ती कार्यवाही के फलस्वरूप 1.92 करोड़ रूपये के ब्याज की सहकारिता बैंक से वसूली न होना।

(कंडिका 4.5.1)

13 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम

- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्त्ति निगम में बोरों की प्राप्ति पर उनकी गुणवत्ता के परीक्षण में विफलता के कारण 62.71 लाख रूपये का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 6.2.1)

- छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम में पानी की माँग का निर्धारण किये बिना अनुबन्ध करने से 2.73 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 6.2.3)

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा इलैक्ट्रोनिक विद्युत मीटरों की प्राप्ति के लिये निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण 1.90 करोड़ रूपये की हानि।

(कंडिका 6.2.5)

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में समान उपकरणों के लिये स्वीकार्य दरों में भिन्नता के परिणाम स्वरूप 1.40 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय।

(कंडिका 6.2.6)

राजस्व प्राप्तियाँ

14 वाणिज्यिक कर

- बंद इकाईयों से कर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रूपये की हानि।

(कंडिका 7.12)

- सकल प्राप्तियों की गलत निर्धारण के परिणाम स्वरूप 82.38 लाख रूपये के कर का कम आरोपण।

(कंडिका 7.13)

- कच्चे माल पर ब्याज सहित 84.14 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण।

(कंडिका 7.14)

15 राज्य उत्पाद शुल्क

- शर्करा परिमाण के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होने के परिणाम स्वरूप उत्पाद शुल्क की हानि 20.07 लाख।

(कंडिका 7.23)

16	वाहन कर

- अधिनियम 1991 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणाम स्वरूप 69.33 लाख रूपये के कर एवं शास्ति का अनारोपण।

(कंडिका 7.24)

17	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब एवं अवमुल्यांकन के कारण 8.19 लाख रूपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 7.28)

18	मनोरंजन शुल्क

- निर्धारित दरों पर शुल्क का भुगतान न किये जाने के परिणाम स्वरूप 3.34 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना।

(कंडिका 7.30)

19	वन प्राप्तियाँ

- बाँस कूपों के कार्यशील न होने के परिणाम स्वरूप 2.38 करोड़ रूपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 7.31)

- बाँस के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप 1.42 करोड़ रूपये की हानि।

(कंडिका 7.32)

20	खनन प्राप्तियाँ

- निर्धारित दरें प्रभारित न करने के परिणाम स्वरूप 23 लाख रूपये की रायल्टी की कम वसूली।

(कंडिका 7.35)